न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

मुकदमा सं0: 118/2019 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. गौरीशंकर शर्मा पुत्र श्री स्व0 भगवानसहाय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा।
2. महेश कुमार शर्मा पुत्र स्व श्री कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा।
3. रोहिताश शर्मा पुत्र श्रीनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कॉलेज के पीछे दौसा जिला दौसा राज0।
4. संतोष प्रजापत पुत्र श्री छाजूलाल प्रजापत जाति कुम्हार निवासी छोटी दौसा तहसील व जिला दौसा।
5. गिर्राज बैरवा पुत्र श्री महादेव प्रसाद बैरवा निवासी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ममता रानी शर्मा पत्नि श्री कमलेश कुमार शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी गीता सदन दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा।
3. डॉ0 गोवर्धनलाल शर्मा आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी दौसा पीठासीन अधिकारी डॉ0 गोवर्धनलाल शर्मा प्रकरण उनवानी आम जनता दौसा खुर्द बनाम ममता रानी आदि दावा मु0नं0 24/19 टी0आई0 नं0 17/2019

उपस्थिति : 1. राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट पक्ष।
2. कमलेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
3. श्री चन्द्रशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::— दिनांकः 07.8.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा उनवानी आम जनता दौसा खुर्द बनाम ममतारानी आदि वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 1व 2 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष भूमि खसरा नम्बर 1690 वाके ग्राम दौसा खुर्द मुताबिक राजस्व रिकार्ड गै0मु0 चरागाह में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा नाजायज रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य चालू करने व चरागाह के स्वरूप को नष्ट करने पेश किया गया था। जिसमें प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा से न्याय की उम्मीद नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण बाबत प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.5.2019 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करते हुए चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1690 रकबा 11.06 है0 वाके दौसा खुर्द तहसील दौसा के मौके की यथास्थिति बनाये रखने व निर्माण कार्य नहीं करने बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाते हुए प्रकरण में तारीख पेशी 01.7.2019 नियत की गई थी। अप्रार्थी सं0 1 के पति द्वारा उक्त प्रकरण शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करते हुए प्रकरण को तारीख पेशी 1.7.19 से 12.6.19 व इसके बाद 13.6.2019 में नियत करवा लिया। प्रार्थीगण द्वारा निवेदन करने पर भी पीठासीन अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया व प्रकरण का निस्तारण दिनांक 13.6.2019 को आनन फानन में फैसला करने की मौखिक रूप से सरेइजलास कहा गया। अप्रार्थीनी सं0 1 का पति कमलेश कुमार शर्मा जिला न्यायालय परिसर में वकालत का कार्य करता है तथा उसके द्वारा न्यायालय परिसर में ऐलानिया कहा कि मेरी बात पीठासीन अधिकारी से हो गई है और उक्त दावे को दिनांक 13.6.19 को खारिज कर दिया जायेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा अन्तरिम स्थगन निर्णित कर कर दिया। दिनांक 13.6.2019 को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली कर दिया लेकिन उपस्थिति नहीं दिखाई। प्रार्थना पत्र स्थानांतरण शामिल पत्रावली होने पर अधीनस्थ न्यायालय को प्रोसिडिंग रोक देनी चाहिये थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे व उनसे बातें करते देखा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली से प्रार्थीगण को न्याय की उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में चलने लायक नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा इस बाबत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं01 को हैरान परेशान करने की नीयत से उक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के यहां प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा से प्राप्त टिप्पणी का भी अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा प्रेषित टिप्पणी को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में विचाराधीन मुकदमा सं0 24/2019 उनवानी आम जनता दौसा खुर्द बनाम ममतारानी आदि को न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा में स्थानांतरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली अविलम्ब न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में भिजवाई जावे। सहायक कलक्टर दौसा को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अधिवक्ता उभयपक्ष दिनांक 13.8.2019 को न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा में उपस्थित हों। उपखण्ड अधिकारी दौसा एवं सहायक कलक्टर दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी कर निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 07 अगस्त, 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official